

(2)



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण

निज -1847-II-K

मुकेश मागड कां.प्र.

द्वारा आज दि. 8-6-16

प्रस्तुत

कलकत्ता ऑफिस
8-6-16
राजस्व मण्डल म.प्र.

विजय तिवारी पुत्र श्री मनमोहन प्रसाद
तिवारी निवासी ग्राम ढावा तिवरियान
तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

सीता शुक्ला सरपंच ग्राम पंचायत ढावा
तिवरियान तहसील हनुमना जिला रीवा

..... अनावेदक

WS
मुकेश मागड
08-6-16 एडवाकेट
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा प्र.कं.
175 ए-74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 13.5.2016 के
विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा -50 के अंतर्गत
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, ग्राम ढावा तिवरियान प.ह. ढावा तिवरियान की आर. खत्र. कं. 879 जिसके रजि. शा. म.प्र. दर्ज शासकीय अभिलेख है तथा उक्त भूमि के नोड्यत में आवास योजना सडक, शमशान तथा कालम नं. 10 में पंचायत भवन दर्ज है एवं रास्ता दर्ज है, सरपंच ग्राम पंचायत ढावा तिवरियान के द्वारा दिनांक 07.07.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायतभवन का रकवा दर्ज

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1847-दो/2016

जिला रीवा

विजय विरूद्ध सीता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 175/ए-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 11-06-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	